

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 952/2012/उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स उदयपुर सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर्स, उदयपुर

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 20/12/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 289/वेट/2010-11 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 09.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 61(1) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.06.2008 के जरिये आरोपित कर रूपये 16,438/- एवं शास्ति रूपये 32,876/- कुल रूपये 49,314/- को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा पीने का पानी जार में भर कर सप्लाई किया जाता है। उक्त पानी की पैकिंग नहीं होती है तथा जार के ढक्कन सील किये हुए नहीं होते हैं। प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 21.05.2008 को किया जाकर वाद बनाया गया। व्यवसायी के व्यवसाय स्थल पर एक बिक्री बिल बुक व लूज 6 पर्चियां एवं डीलर लेजर शीट 127 पेज में दर्ज हिसाब का मिलान लेखा पुस्तकों से नहीं कराने पर रिकार्ड करापवंचन के आधार पर कर एवं शास्ति आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कर व शास्ति को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।

3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल पर सर्वेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2008-09 की अवधि में सर्वेक्षण दिनांक 21.05.2008 तक मिनरल वाटर 12.50 प्रतिशत कर योग्य माल रूपये 1,31,500/- की उच्चन्ति बिक्री का हिसाब पाया जाने से 12.50 प्रतिशत से कर रूपये 16,438/- निर्धारित

लगातार.....2

31

31



किया जाकर एवं करापवंचन सिद्ध हो जाने के कारण शास्ति दुगुनी रूपये 32,876/- कुल राशि 49,314/- आरोपित की गई जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।


5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनियम की शिड्यूल-1 की एन्ट्री संख्या 36 इस प्रकार है :- "Water other than aeriated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, demineralized water sold in container." जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने इसे शिड्यूल 01 की 36 में अंकित नहीं होना माना है। जब कि उक्त जार सील पेकड नहीं है।

इस संबंध में अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत निर्णीत प्रकरण मैसर्स ममता कोल्ड इण्डस्ट्रीज, जयपुर निर्णय क्रमांक पी5(सी)202/टैक्स रेट/ एसीसीटी/वेट एण्ड आई.टी./10 आदेश दिनांक 25.10.2010 को सन्दर्भित किया जाना प्रासंगिक है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "water supplied in campher" Entry 30, Sch I, Raj. Vat Act. 2003-'Water as envisaged in this entry is "drinking water" whether it is supplied by tractor, tanker or railway wagons but if water is sold in containers, it would be exigible to tax under Schedule-V. However, if water is supplied in campher (Plastic jar/bucket, it would continue to remain exempt under entry 36, Sch. I (Para 12) एवं As to Q.No. 4, if water is supplied in campher (Plastic jar/bucket) it is not taxable as such, but if sold in container, it would be exigible to tax. Since water sold in container is not mentioned in Schedule 1 to IV and VI, therefore, it would be exigible to tax under the Schedule-V of Raj. VAT Act, 2003.

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई भी कार्यवाही या करारोपण उक्त अभिनिर्धारण को दृष्टिगत रखते हुए ही करना चाहिये था।

6. प्रश्नगत माल "पानी" जो कि प्लास्टिक जार (Campher) में बेचा गया है तथा यह Mineral Water Sold in Container की श्रेणी में नहीं आने के कारण वह अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 36 के तहत करमुक्त पानी की श्रेणी में ही आता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी के आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करमुक्त माल पर किए गए करारोपण एवं शास्ति को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के.एल.जैन)
सदस्य

